

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

22-7-14

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2014/ 1167

भोपाल, दिनांक: 17/7/2014

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.
समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.
संचालक, गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग, भोपाल
समस्त अधीक्षक, विशेष चिकित्सालय, म.प्र.
समस्त प्राचार्य, परिवार कल्याण केन्द्र, म.प्र.

विषय:- पासपोर्ट एवं विदेश यात्रा हेतु अनुमति दिये जाने के संबंध में।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि आपके द्वारा पासपोर्ट हेतु अनापत्ति एवं विदेश यात्रा की अनुमति के आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं वांछित प्रतियों में न होने के बावजूद अग्रेषित कर इस कार्यालय को भेज दिया जाता है। पासपोर्ट हेतु ANNEXURE 'B' पूर्णतः टंकित न होकर कई बार हस्तलिखित भरा हुआ प्राप्त होता है। इस कारण आवेदनों की कमियों को पूर्ण करने में अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है, जिससे कार्यवाही में विलम्ब होता है एवं आवेदन पासपोर्ट कार्यालय के मापदण्ड के अनुरूप न होने पर अमान्य भी कर दिया जाता है। इस बारे में संचालनालय के पत्र क्र. 1-जी/विज्ञप्त/2008/1974-जी दिनांक 4.11.2008 द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पासपोर्ट हेतु अनापत्ति एवं विदेश यात्रा हेतु अनुमति के प्रकरणों को निर्धारित प्रारूपों एवं वांछित प्रतियों में ही प्रमाणित कर इस कार्यालय को अग्रेषित करें। साथ ही आवेदक के कोष एवं लेखा से जारी कर्मचारी कोड (Employee Code) का उल्लेख भी आवश्यक रूप से करें।

पासपोर्ट हेतु अनापत्ति (चार प्रतियों में)

1. अनापत्ति (N.O.C.) आवेदन।
2. ANNEXURE 'B' पूर्णतः टंकित किया हुआ एवं आपके द्वारा प्रमाणित फोटो।
3. आवेदक के विरुद्ध शिकायत/विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण/ई.ओ.डब्ल्यू. प्रकरण/अनाधिकृत अनुपस्थिति प्रकरण आदि की जानकारी।

विदेश यात्रा हेतु अनुमति (दो प्रतियों में)

1. विदेश यात्रा अनुमति आवेदन।
2. आवेदक के विरुद्ध शिकायत/विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण/ई.ओ.डब्ल्यू. प्रकरण/अनाधिकृत अनुपस्थिति प्रकरण आदि की जानकारी।

संतान- उपरोक्ता तुलार
प्रप्र

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2014/

भोपाल, दिनांक /7/2014

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके संभाग के अन्य विभागों/संस्थाओं, जहां इस विभाग के चिकित्सा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, के कार्यालय प्रमुख को भी अवगत करावें।
2. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश